(217)

संख्या–380/XVIII-(2)/F/12-04(38)/2011

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 24 अगस्त,2012

विषयः– आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव हेतु जनपदों को प्रकाश व्यवस्था हेतु आपातकालीन प्रकाश उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरण यथा इन्फेलेटेबल लाईट/छोटी सोलर लाईट व अन्य लाईट, गैस कटर व वुड कटर आदि का क्रय किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2011–एन0डी0 एम0–आई0, दिनांक 16 जनवरी,2012 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के बिन्दुं संख्या–11 के अनुसार राज्य में आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव हेतु जनपदों को प्रकाश व्यवस्था हेतु आपातकालीन प्रकाश उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरण यथा इन्फेलेटेबल लाईट/छोटी सोलर लाईट व अन्य लाईट, गैस कटर व वुड कटर आदि का क्रय किये जाने हेतु ₹ 30.00 लाख प्रति जनपद की दर से राज्य के समस्त 13 जनपदों हेतु कुल ₹ 390.00 लाख (₹ तीन करोड़, नब्बे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि से नियमानुसार उपकरणों का क्रय कर इसकी सूची शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जायेगी।

2– क्रय किये जाने वाले उपकरणों का समुचित रख–रखाव जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

4– धनराशि का व्यय/उपकरणों का क्रय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का तत्काल उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार

क्रमशः–2

ही आहरण किया जाये और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह दिनांक 31.03.2012 तक अथवा उससे पूर्व शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–71 NP/वित्त अनु0 5/2012, दिनांक 22, अगस्त,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या– 380 (1)/XVIII-(2)/12-04(38)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराण्ड।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10–वित्त अनुभाग–5,
11–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव